

# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ-4/विदेश यात्रा/1260/2019/ दिनांक- 18/10/2019

## ::कार्यालय आदेश::

निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार विदेश यात्रा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विवरण निम्नानुसार है—

क.	नाम कर्मचारी मय पद सर्व श्री....	प्रथम नियुक्ति तिथि	विदेश का नाम	अवधि
1	श्रीमती सुमन राजपुरोहित अध्या. लेवल -1, राप्रावि,इन्दिरा कॉलोनी माण्डवला प.स. सायला जिला जालौर	12.10.17	बाली(इण्डोनेशिया) एवं सिंगापुर	01.11.19 से 10.11.19
2.	श्री अब्दुल जोहेब चिश्ती, अध्या. राउप्रावि,बडबाव जिला अजमेर	20.03.15	मक्का मस्जिद सउदी अरब	22.10.19 से 05.11.19
3	श्रीमती सरिता कुमारी जैन, अध्यापिका राबाउप्रावि, कलिजरी गेट शाहपुरा भीलवाडा	06.08.2008	यू.ए.ई. दुबई	23.10.19 से 03.11.19
4.	श्रीमती मंजू जैन,अध्यापिका,राप्रावि,माधोपुर,सुवाणा भीलवाडा	01.11.1993	अमेरिका (यू.ए.एस)	18.11.19 से 17.12.19
5.	श्रीमती निगहत हुसैन,अध्यापिका राप्रावि,जनता कॉलोनी,जोधपुर शहर जोधपुर	22.06.1994	सउदी अरब मक्का मदीना	15.12.19 से 05.01.20


1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृति पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पत्नों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराएंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि में शाला में अध्ययन कार्य बाधित नहीं होना सुनिश्चित किया जाए।

आज्ञा से  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पराज  
(प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान,  
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्राशि जालौर/अजमेर/भीलवाडा/जोधपुर।
2. प्रभारी सूचना सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित कार्मिक .....
4. रक्षित पत्रावली ।

  
(मूलचंद मीणा)

उपनिदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर